

**"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"**

(रा.भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

228/22

2022

334

श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय

बालोतरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खांगरानाडी की जमाबन्दी संवत् 2070-71 खाता संख्या 31 में मैरा बाबू भोलाराम पुता विरिया के हैं जो मैरा बाबू नाम है। मैरा बाबू का पिता राजानाडी वडोहर रमणी दस्तवेज में मैरा खरीनाम भोलाराम पुता केराबाम हैं जो ग्राम खांगरानाडी के वटा संख्या 2375, 2376, 2378, 2382 में भोलाराम पुता विरिया नामक वटा है लेकिन इन वटों में कोई खेतमात नहीं है जो इनकी जमीन के 25% के 2375 में मैरा दस्तावेज में भोलाराम पुता विरिया के नाम पर भोलाराम पुता केराबाम वटों में वटा की सृष्टि नहीं है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी मैरा बाबू

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रार्थी के दस्तावेजों के द्वारा मैरिज लेगा से प्रकृत सबूत प्राप्त पाया गया कि ग्राम खांगरानाडी के वटा संख्या 2375, 2376, 2378, 2382 में भोलाराम पुता विरिया के वटा पर भोलाराम पुता केराबाम किया गया उक्ति है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रस्तुत दस्तावेज व पण्ड/ILR की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित दुरुस्ती का जमाना उचित है। इस बाबत अनुशंसा का जाकर श्रीमानजी की सेवाओं सादर धेश है।

प्रार्थी का आवेदन को स्वीकार कर दुरुस्ती करने की अनुशंसा की जाती है।

आदेश

जोय खण्ड अधिकारी  
 रिपोर्ट पटवारी द्वारा व जोय 100/17 की  
 क्रमांक 70 अधिसूचना जारी की

उपखण्ड अधिकारी  
 (नरेश सोनी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बालोतरा

मदन विरनोई  
 पटवारी (भू.अ.नि.)  
 तहसील बालोतरा

24/6/22  
 NTDR, Patodi